



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22012026-269525
CG-MH-E-22012026-269525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]
No. 52]

नई दिल्ली, मंगलवार, 20 जनवरी, 2026/पौष 30, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, 20 JANUARY 2026/PAUSHA 30, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुंबई, 20, जनवरी, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/295.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में –

I. विनियम 15 में,

(क) प-विनियम (1क) में,

- i. शब्दों तथा अंक “विनियम 16 से” के बाद तथा अंक “27” से पहले दिया हुआ शब्द “विनियम” हट जाएगा;
- ii. शब्दों तथा चिह्न “एंटीटी पर लागू होंगे, जिसने अपनी” के बाद दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों “असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़ (असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ)” आ जाएँगे;
- iii. शब्दों “कराई हों और जिसकी” के बाद दिए हुए शब्दों “सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य” के स्थान पर शब्द “मौजूदा लिस्टिड नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़ का मूल्य” आ जाएँगे;
- iv. शब्दों “हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो” से पहले दिए हुए शब्द “एक” के स्थान पर शब्द “पाँच” आ जाएगा;

(ख) उप-विनियम (1क) के परंतुक में,

- i. शब्दों “मूल्य वर्ष के दौरान” के बाद तथा शब्दों “हजार करोड़ रुपये” से पहले दिए हुए शब्द “एक” के स्थान पर शब्द “पाँच” आ जाएगा;
- ii. शब्दों “के बराबर या उससे” के बाद और शब्दों तथा चिह्न “हो जाए,” से पहले दिए हुए शब्द “अधिक” के स्थान पर शब्द “ज्यादा” आ जाएगा;
- iii. शब्दों “तो ऐसे में जिस दिन ऐसा हुआ हो” के बाद तथा शब्दों “उस दिन” से पहले, चिह्न “,” जोड़ा जाएगा;
- iv. शब्दों “और जिस दिन ऐसा हुआ हो” के बाद और शब्दों “उस दिन” से पहले, चिह्न “,” जोड़ा जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण (2) हट जाएगा;

(घ) उप-विनियम (1कक) में,

- i. शब्दों तथा चिह्नों “उप-विनियम (3) में” के बाद और शब्दों “किसी बात के होते हुए भी” से पहले दिए हुए शब्दों “दी हुई” के स्थान पर शब्द “बताई गई” आ जाएगा;
- ii. शब्दों तथा अंक “विनियम 15 से” के बाद तथा अंक “27” से पहले दिया हुआ शब्द “विनियम” हट जाएगा;
- iii. शब्दों तथा चिह्न “निर्धारित सीमा-रेखा से कम” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “निर्धारित सीमा (सीमा-रेखा / थ्रेसहोल्ड) से कम ही” आ जाएँगे;

(ङ) उप-विनियम (1कक) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि इस उप-विनियम के प्रावधान उन एंटीटियों के मामले में लागू नहीं होंगे, जो विनियम 15(1क) के अनुसार संशोधित सीमा (सीमा-रेखा / थ्रेसहोल्ड) के लिहाज से एच.वी.डी.एल.ई. न रहें।”

II. विनियम 39 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्-

“(2) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी सब-डिवीज़न, स्प्लिट (विभाजन), कन्सॉलिडेशन (समेकन), रिनुअल (नवीकरण), अदला-बदली (एक्सचेंज / विनिमय) के संबंध में और जिन मामलों में प्रमाणपत्र खो गए हों या पुराने होकर जर्जर हो गए हों या कट-फट गए हों उन मामलों में डुप्लिकेट शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) जारी करने के संबंध में निवेशकों से निवेदन (जरूरी दस्तावेजों के साथ) प्राप्त होने पर, शेयर

आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) डीमैट रूप में, निवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जमा करवा देगी।”

III. विनियम 40 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों या कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों में जो भी प्रावधान किए गए हों उनका पालन तो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी को करना ही होगा, लेकिन इसके साथ-साथ उसे नीचे दिए हुए प्रावधानों का भी पालन करना होगा:

(क) शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) ट्रांसफर (अंतरित) करने के संबंध में प्राप्त निवेदनों पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब तक कि वे शेयर आदि डिपॉजिटरी (निक्षेपागार) के पास डीमैट रूप में न रखे हों;

(ख) शेयर आदि चाहे कागज़ी रूप में हों या डीमैट रूप में हों, उनका ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़ीशन केवल डीमैट रूप में किया जाएगा:

परंतु यह कि खंड (क) में बताई गई किसी भी बात से उन शेयरों आदि के ट्रांसफर को दर्ज (रजिस्टर) करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले ट्रांसफर किए गए हों और अब भी कागज़ी रूप में रखे हुए हों, लेकिन इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों का पालन करना होगा।”

IV. विनियम 61क में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(3) एस्क्रो अकाउंट (निलंब खाते) में जमा (ट्रांसफर) की गई जिस रकम को लेकर कोई दावा न किया गया हो और जिसका भुगतान भी न किया गया हो, वह रकम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि (इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड) में जमा (ट्रांसफर) करा दी जाएगी:

परंतु यह कि जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 में दी हुई “कंपनी” की परिभाषा और उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के दायरे में नहीं आतीं, उनके मामले में एस्क्रो अकाउंट (निलंब खाते) में पड़ी वह रकम अधिनियम (एक्ट) की धारा 11 के अनुसार बोर्ड द्वारा बनाई गई निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड) में जमा (ट्रांसफर) करा दी जाएगी, जिसके संबंध में नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़ (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों) की मीयाद पूरी होने (की परिपक्वता / मैच्यूरिटी) की तारीख से सात वर्षों तक कोई दावा न किया गया हो और जिसका भुगतान भी न किया गया हो:

परंतु यह और कि निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि में जमा (ट्रांसफर) की गई रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।”

V. विनियम 62ग में,

(क) उप-विनियम (1) में,

i. शब्दों “डैट सिक्यूरिटीज़ का मूल्य” के बाद और शब्दों “हजार करोड़ रुपये” से पहले दिए हुए शब्द “एक” के स्थान पर शब्द “पाँच” आ जाएगा;

ii. धीकरण (1) में,

1. शब्दों तथा चिह्न “या नहीं, यह” के बाद और शब्दों “इस आधार पर तय” से पहले, शब्द “तो” जोड़ा जाएगा;

2. अंकों, शब्दों तथा चिह्नों “31 मार्च, 2025 को सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड डेट सिक्यूरिटीज़) के बकाया मूलधन की रकम कितनी है, फिर भले ही यह संशोधन किसी भी तारीख को अधिसूचित क्यों न हो” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इस संशोधन के अधिसूचित होने की तारीख को सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड डेट सिक्यूरिटीज़) के बकाया मूलधन की रकम कितनी है” आ जाएंगे;

iii. स्पष्टीकरण (2) के बाद दिए हुए परंतुक में,

1. शब्दों “मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान” के बाद तथा शब्दों “हजार करोड़ रुपये” से पहले दिए हुए शब्द “एक” के स्थान पर शब्द “पाँच” आ जाएगा;

2. शब्दों “वाली रिपोर्ट में यह” के बाद और शब्दों “होगा कि इन प्रावधानों” से पहले दिए हुए शब्दों “उल्लेख करना” के स्थान पर शब्द “बताना” आ जाएगा;

(ख) उप-विनियम (2) में,

i. शब्दों तथा चिह्नों “उप-विनियम (3) में” के बाद और शब्दों “किसी बात के होते हुए भी” से पहले दिए हुए शब्दों “दी हुई” के स्थान पर शब्द “बताई गई” आ जाएगा;

ii. उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण में, शब्दों “से लागू हो जाएंगे” के बाद दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;

iii. उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“परंतु यह कि इस उप-विनियम के प्रावधान उन एंटिटियों के मामले में लागू नहीं होंगे, जो विनियम 62ग(1) के अनुसार संशोधित सीमा (सीमा-रेखा / थ्रेसहोल्ड) के लिहाज से एच.वी.डी.एल.ई. न रहें।”

VI. विनियम 62घ में,

(क) उप-विनियम (2) में,

i. शब्दों तथा चिह्न “गैर-कार्यकारी निदेशक” के बाद तथा शब्दों “के तौर पर” से पहले चिह्न तथा शब्द “(नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर)” आ जाएंगे;

ii. शब्दों “में यह” के बाद तथा शब्दों “जाएगा कि” से पहले दिए हुए शब्दों “उल्लेख किया” के स्थान पर शब्द “बताया” आ जाएगा;

(ख) उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि एच.वी.डी.एल.ई. गैर-कार्यकारी निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) को नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने के समय अथवा उसकी पचहत्तर वर्ष की आयु पूरी होने से पहले किसी भी समय इस उप-विनियम के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करेगी।”

(ग) उप-विनियम (3) के बाद,-

i. शब्दों तथा चिह्न “मंजूरी ले ली जाए:” के बाद और मौजूदा पहले परंतुक से पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि विनियामक प्राधिकरणों (रेग्युलेटरी अथॉरिटीज़), सरकारी प्राधिकरणों या कानूनी प्रावधानों के तहत गठित प्राधिकरणों (स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़) की मंजूरी (जहाँ कहीं भी मंजूरी लेनी जरूरी हो) लेने में लगा समय इस खंड के हिसाब से आकलन करते समय नहीं गिना जाएगा:”

- ii. मौजूदा पहले परंतुक में, शब्दों “परंतु यह” के बाद और शब्द “कि सार्वजनिक क्षेत्र” से पहले, शब्द “और” जोड़ा जाएगा;
- iii. मौजूदा पहले परंतुक में शब्दों तथा चिह्न “अगली आम बैठक में ले ली जाए:” के बाद तथा मौजूदा दूसरे परंतुक में शब्दों “परंतु यह और कि जिस व्यक्ति के नाम” से पहले, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-
 “परंतु यह और कि इस खंड के प्रावधान वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्यूलैटर), न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्यूनल) द्वारा एच.वी.डी.एल.ई के बोर्ड में नामित किए गए व्यक्ति को नियुक्त किए जाने या उसे फिर से नियुक्त किए जाने के मामले में लागू नहीं होंगे: परंतु यह और कि इस विनियम का प्रावधान उस निदेशक के मामले में लागू नहीं होगा, जिसे एच.वी.डी.एल.ई द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में पैसा लगाए जाने के संबंध में किए गए करार (सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट) के तहत डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) [जो बोर्ड के यहाँ रजिस्टर हो] द्वारा नामित किया गया हो:”

(घ) उप-विनियम (5) में,

- i. शब्दों “तो वह” के बाद और शब्दों “द्वारा जल्द से जल्द” से पहले दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों “सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “एच.वी.डी.एल.ई.” आ जाएँगे;
- ii. शब्दों तथा चिह्न “भरना होगा:” के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 “परंतु यह कि यदि निदेशक का पद खाली होने की वजह से विनियम 62च के उप-विनियम (1), विनियम 62छ के उप-विनियम (1) या (2), विनियम 62ज के उप-विनियम (2) या (3) अथवा विनियम 62झ के उप-विनियम (2) या (3) के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसे में एच.वी.डी.एल.ई. जल्द से जल्द किंतु हर हाल में वह पद खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगी:”
- iii. मौजूदा पहले परंतुक में,
 - 1. शब्दों “परंतु यह” के बाद और शब्दों “कि यदि किसी निदेशक” से पहले शब्द “और” जोड़ा जाएगा;
 - 2. शब्दों, चिह्नों तथा अंक “उप-विनियम (1)” के बाद और शब्दों “में दिए हुए प्रावधान” से पहले, चिह्न शब्द तथा अंक “, विनियम 62च के उप-विनियम (1), विनियम 62छ के उप-विनियम (1) या (2), विनियम 62ज के उप-विनियम (2) या (3) अथवा विनियम 62झ के उप-विनियम (2) या (3)” जोड़े जाएँगे;
- iv. मौजूदा दूसरे परंतुक में, शब्दों, चिह्नों तथा अंक “उप-विनियम (1)” के बाद तथा शब्दों “में दिए हुए प्रावधान” से पहले, चिह्न, शब्द तथा अंक “, विनियम 62च के उप-विनियम (1), विनियम 62छ के उप-विनियम (1) या (2), विनियम 62ज के उप-विनियम (2) या (3) अथवा विनियम 62झ के उप-विनियम (2) या (3)” जोड़े जाएँगे;

(ङ) उप-विनियम (6) में,

- i. शब्दों “निदेशक मंडल की बैठकें” के बाद और शब्दों “वर्ष में कम से कम” से पहले, शब्द “वित्तीय” जोड़ा जाएगा;

- ii. शब्दों “किन्हीं दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा दिनों का अंतर नहीं होगा” के स्थान पर शब्द “एक बैठक के बाद जो दूसरी बैठक हो उसमें एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतर न हो” आ जाएँगे;
- (च) उप-विनियम (11) में, खंड (घ) में, शब्दों “तो ऐसे में प्रत्येक” के बाद तथा शब्दों “वर्ष विशेष संकल्प” से पहले, शब्द “वित्तीय” जोड़ा जाएगा;
- (छ) उप-विनियम (17) में, शब्दों “निदेशक मंडल की सिफारिश” के बाद और शब्दों “का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा” से पहले, चिह्न तथा शब्द “(तर्क सहित)” जोड़े जाएँगे;
- VII. विनियम 62च में, उप-विनियम (2) में, खंड (क) में, शब्दों “समिति एक” के बाद और शब्दों “वर्ष में कम से कम” से पहले, शब्द “वित्तीय” जोड़ा जाएगा;
- VIII. विनियम 62छ में, उप-विनियम (6) में, शब्दों “की बैठक” के बाद और शब्दों “वर्ष में कम से कम” से पहले, शब्द “वित्तीय” जोड़ा जाएगा;
- IX. विनियम 62ज में, उप-विनियम (5) में, शब्दों “की बैठक” के बाद और शब्दों “वर्ष में कम से कम” से पहले, शब्द “वित्तीय” जोड़ा जाएगा;
- X. विनियम 62झ में, उप-विनियम (4) में, शब्दों “की बैठकें” के बाद और शब्दों “वर्ष में कम से कम” से पहले शब्द “वित्तीय” जोड़ा जाएगा;
- XI. विनियम 62ट में,
- (क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
- “(1) एच.वी.डी.एल.ई. संबंधित पक्षों के साथ किए जाने वाले लेनदेन (संबद्ध पक्षकार संव्यवहार / रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) के संबंध में ऊपर दिए हुए विनियम 23 के प्रावधानों [विनियम 23(8) और विनियम 23(9) में दिए हुए प्रावधानों को छोड़कर] का पालन करेगी। इस विनियम के सिलसिले में, विनियम 23 में आए शब्दों “सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी” को “एच.वी.डी.एल.ई.” पढ़ा जाएगा।”;
- (ख) उप-विनियम (2), (3) और (4) हट जाएँगे;
- (ग) उप-विनियम (5) में, शब्दों तथा चिह्न “ज्यादा के डिवेंचर हों] से” के बाद दिए हुए शब्दों “यह पुष्टि करवानी होगी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “उसी प्रकार यह पुष्टि करवानी होगी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जैसा बोर्ड बताए” आ जाएँगे;
- उप-विनियम (7) में,
- i. शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “उप-विनियम (3), (4) और (5)” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “उप-विनियम (5)” आ जाएँगे;
- ii. खंड (क) में, शब्द “दो” के बाद और शब्दों “कंपनियों के बीच” से पहले दिए हुए शब्द “सरकारी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) की” आ जाएँगे;
- iii. खंड (ख) में, चिह्न “;” के बाद दिया हुआ शब्द “और” हट जाएगा;
- iv. खंड (ग) में, शब्दों “रखे जाते हों” के बाद दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “;” आ जाएगा;
- v. खंड (ग) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(घ) ऐसे लेनदेन, जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार देय रकम, फीस या शुल्क के संबंध में किए गए हों, जिनमें एक पक्ष एंटीटी हो और दूसरा पक्ष या तो केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर दोनों हों; और

(ङ) ऐसे लेनदेन, जिनमें एक पक्ष सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) की कोई कंपनी हो और दूसरा पक्ष या तो केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर दोनों हों।”

vi. मौजूदा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण आ जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम के खंड (ख) में आए शब्दों “नियंत्री (होलिंग) कंपनी” का अर्थ यह है और हमेशा यही रहा है - “सूचीबद्ध नियंत्री कंपनी (लिस्टिड होलिंग कंपनी)”।”

XII. विनियम 62ठ में,

(क) उप-विनियम (1) में, स्पष्टीकरण में,

- i. शब्दों तथा चिह्न “सहायक कंपनी,” के बाद और शब्दों तथा चिह्न “क्रमशः ठीक पहले” से पहले दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों “जिसकी आमदनी या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “जिसका टर्नओवर (व्यापारवर्त) या जिसकी नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत)” आ जाएँगे;
- ii. शब्दों “सहायक कंपनियों” के बाद और चिह्नों तथा शब्दों “(सबको मिलाकर)” से पहले दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों “की आमदनी या शुद्ध-मालियत” के स्थान पर शब्द “के टर्नओवर या की नेटवर्थ” आ जाएँगे;

(ख) उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“इस उप-विनियम में बताई गई कोई भी बात तब लागू नहीं होगी, जब संपत्तियाँ आदि (असेट्स) एच.वी.डी.एल.ई. की पूर्ण-स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) द्वारा एच.वी.डी.एल.ई. की पूर्ण-स्वामित्व वाली दूसरी सहायक कंपनी (समनुषंगी / सब्सिडियरी) को बेची जाएँ या पट्टे (लीज़) पर दी जाएँ।”

XIII. विनियम 62ड में,

(क) उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्नों “सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाएँगी, और पेशे में लगे कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) द्वारा दी गई सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए फॉर्म में, सूचीबद्ध एंटीटी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लगाएँगी” के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर “विनियम 24क के अनुसार सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाएँगी” आ जाएँगे;

(ख) उप-विनियम (2) हट जाएगा;

XIV. विनियम 62ढ में, उप-विनियम (7) हट जाएगा;

XV. विनियम 62त में, उप-विनियम (2) के परंतुक के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम (3) और परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

“(3) जिस एच.वी.डी.एल.ई. के संबंध में दिवाला संहिता (इनसॉल्वेंसी कोड) की धारा 31 के तहत रेज़ोल्यूशन प्लान (समाधान योजना) को मंजूरी प्रदान की गई हो, उसके यहाँ यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर), प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर), पूर्णकालिक निदेशक (होल टाइम डाइरेक्टर) या प्रबंधक (मैनेजर) या मुख्य वित्तीय अधिकारी (चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर) का कोई पद खाली हो, तो वह पद इस तरह से मंजूरी प्रदान किए जाने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के

भीतर भरना होगा:

परंतु यह कि जब तक वह पद भरा न जाए, तब तक के लिए उस एच.वी.डी.एल.ई. के यहाँ रोज़मर्रा का कामकाज देखने के लिए कम से कम एक ऐसा व्यक्ति पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त अवश्य हो, जो “प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों” (की मैनेजरियल पर्सनल) की श्रेणी में आता हो।”

XVI. विनियम 62थ में,

(क) उप-विनियम (2) में,

i. खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(क) एच.वी.डी.एल.ई. कंपनी संचालन (कारपोरेट गवर्नेंस) से संबंधित मानदंडों के पालन के संबंध में समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में और समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली समय-सीमाओं के भीतर, प्रस्तुत करेगी।”

ii. खंड (ख) हट जाएगा।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./626/2025-26]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, द्वारा 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात्:
 - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
 - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
 - ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और

- प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/029, द्वारा
- च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38 के साथ पठित], द्वारा
- छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
- ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा
- झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा
- ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा
- ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा
- ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा
- ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा
- ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा
- ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा

- थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा
- द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा
- ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सेंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा
- प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा
- फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा
- ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा
- भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सेंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/35, द्वारा
- य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/42, द्वारा
- कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/47, द्वारा
- खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/55, द्वारा
- गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा

- घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा
- ङङ) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा
- चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा
- छछ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88, द्वारा
- जज) 14 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/103, द्वारा
- झझ) 5 दिसम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/109, द्वारा
- ञञ) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/117, द्वारा
- टट) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- ठठ) 14 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/131, द्वारा
- डड) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
- ढढ) 23 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/149, द्वारा
- णण) 19 सितम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/151, द्वारा
- तत) 9 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/155, द्वारा

- थथ) 20 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/158, द्वारा
- दद) 21 दिसम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/161, द्वारा
- धध) 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/177, द्वारा
- नन) 10 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/189, द्वारा
- पप) 12 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/218, द्वारा
- फफ) 28 मार्च, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/239, द्वारा
- बब) 1 मई, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/244, द्वारा
- भभ) 8 सितम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/261, द्वारा
- मम) 27 अक्तूबर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/270, द्वारा
- यय) 19 नवम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/273, द्वारा
- ककक) 16 दिसम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/289, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE
REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/NRO-GN/2026/295.— In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 –
 - I. in regulation 15,
 - (a) in sub-regulation (1A),
 - i. after the words “regulation and” and before the number “16”, the word “regulation” shall be substituted with the word “regulations”;
 - ii. after the words “16 to” and before the number “27”, the word “regulation” shall be omitted”;
 - iii. after the number and words “27 of this” and before the words “shall apply to a listed entity”, the word “chapter” shall be substituted with the word “Chapter”;
 - iv. after the words “non-convertible debt securities of Rupees” and before the words “Thousand Crore”, the word “One” shall be substituted with the word “Five”;
 - (b) in the proviso to sub-regulation (1A),
 - i. after the words “specified threshold of Rupees” and before the words “Thousand Crore”, the word “One” shall be substituted with the word “Five”;
 - ii. after the words and symbol “during the course of the year,” and before the words “high value debt listed entity shall ensure”, the word “a” shall be substituted with the word “the”;
 - iii. after the words “ensure compliance with these provisions”, the symbol “,” shall be inserted;
 - iv. after the words “and from the third quarter”, the symbol “,” shall be inserted;
 - (c) the explanation (2) shall be omitted;
 - (d) in sub-regulation (1AA),
 - i. after the word “once” and before the words and numbers “15 to 27 become”, the words “the regulation” shall be substituted with the word “regulations”;
 - ii. after the words “the said regulations” and before the words “continue to apply till”, the word “shall” shall be inserted;
 - iii. after the words “continue to apply till” and before the words “value of the outstanding”, the word “the” shall be inserted;
 - (e) after sub-regulation (1AA), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that the provisions of this sub-regulation shall not be applicable to entities which cease to be classified as HVDLEs in terms of the revised threshold as per Regulation 15(1A).”.
 - II. in regulation 39, sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

“(2) SPThe listed entity shall effect credit of securities pursuant to investor service requests in relation to subdivision, split, consolidation, renewal, exchanges and issuance of duplicate securities on account of loss or

old decrepit or worn out certificates in dematerialised form within a period of thirty days from the date of receipt of such request along with relevant documents.”

III. in regulation 40, sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, -

“(1) Save as otherwise specified in provisions of securities laws or Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the listed entity shall also comply with the following requirements:

- (a) The requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialised form with a depository;
- (b) Transmission or transposition of securities held in physical or dematerialised form shall be effected only in dematerialised form:

Provided that nothing contained in clause (a) shall prevent the registration of transfer of securities executed before April 01, 2019 and still held in physical form subject to such conditions as may be specified by the Board.”

IV. in regulation 61A, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, -

“(3) The amount transferred to the escrow account that remains unclaimed and unpaid shall be transferred to the ‘Investor Education and Protection Fund’ in accordance with section 125 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder:

Provided that for listed entities which do not fall within the definition of “company” under the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the amount in the escrow account that remains unclaimed and unpaid for a period of seven years from the maturity date of the non-convertible securities, shall be transferred to the Investor Protection and Education Fund created by the Board in terms of section 11 of the Act:

Provided further that the amount transferred to the Investor Protection and Education fund shall not bear any interest.”

V. in regulation 62C,

(a) in sub-regulation (1),

i. after the words “value of Rupees” and before the words “Thousand Crore”, the word “One” shall be substituted with the word “Five”;

ii. in the explanation (1),

1. after the words “shall be determined” and before the words “basis of value”, the word “the” shall be inserted;

2. after the words “securities as on” and before the words “the date of notification of”, the words, numbers and symbols “March 31, 2025, irrespective of” shall be omitted;

iii. in proviso after explanation (2),

1. after the words “specified threshold of Rupees” and before the words “Thousand Crore”, the word “One” shall be substituted with the word “Five”;

2. after the words “such compliance may be made in” and before the words and symbol “third quarter, following the date of”, the words “corporate governance compliance report on and from” shall be substituted with the words “the Corporate Governance Compliance Report on and from the”;

(b) in sub-regulation (2),

i. after the words “the said regulations shall continue”, the word “to” shall be inserted;

ii. in explanation in sub-regulation (2), after the words, numbers and symbol “April 01, 2025”, the symbol “.” Shall be substituted by the symbol “:”;

iii. after explanation in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that the provisions of this sub-regulation shall not be applicable to entities which cease to be classified as HVDLEs in terms of revised threshold as per Regulation 62C(1).”

VI. in regulation 62D,

(a) in sub regulation (2),

i. after the words “in which case the” and before the words “annexed to the notice for such”, the words “explanatory statement” shall be substituted with the words “Explanatory Statement”;

- ii. after the words “to the notice for such motion”, the symbol “,” shall be inserted”;
- (b) after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely, -
 “Provided that HVDLE shall ensure compliance with this sub-regulation at the time of appointment or re-appointment or any time prior to the non-executive director attaining the age of seventy-five years.”;
- (c) after sub-regulation (3),
 . after the words and symbols “date of appointment, whichever is earlier:” and before the existing first proviso, the following proviso shall be inserted, namely, -
 Provided that the time taken to obtain the approval of regulatory, government or statutory authorities, wherever applicable, shall be excluded for the purposes of this clause:”
- i. in the existing first proviso, after the word “Provided” and before the words “that a public sector company”, the word “further” shall be inserted;
- iii. after the words and symbol “at the next general meeting:” in the existing first proviso and before the words “Provided further that the appointment or a” in the existing second proviso, the following provisos shall be inserted, namely, -
 Provided further that the requirements specified in this clause shall not be applicable to appointment or re-appointment of a person nominated by a financial sector regulator, Court or Tribunal to the board of the HVDLE:
 Provided further that the requirement specified in this regulation shall not be applicable to a director nominated by a debenture trustee registered with the Board under a subscription agreement for the debentures issued by the HVDLE:”
- d) in sub-regulation (5),
 i. after the words “shall be filled by the” and before the words “at the earliest”, the words “listed entity” shall be substituted with the word “HVDLE”;
- ii. after the words and symbol “of such vacancy:”, the following proviso shall be inserted, namely, -
 “Provided that if the vacancy in the office of a director results in non-compliance with the provisions of sub-regulation (1) of regulation 62F, sub-regulation (1) or (2) of regulation 62G, sub-regulation (2) or (3) of regulation 62H or sub-regulation (2) or (3) of regulation 62I, the HVDLE shall ensure compliance at the earliest and in any case not later than three months from the date of such vacancy:”
- iii. in the existing first proviso,
 1. after the word “Provided” and before the words “that if the HVDLE”, the word “further” shall be inserted;
- 2. after the words and symbol “of this regulation,” and before the words “due to expiration of the”, the words, symbols and numbers “sub-regulation (1) of regulation 62F, sub-regulation (1) or (2) of regulation 62G, sub-regulation (2) or (3) of regulation 62H or sub-regulation (2) or (3) of regulation 62I,” shall be inserted;
- iv. in the existing second proviso, after the words “of this regulation” and before the words “without filling the vacancy”, the words, symbols and numbers “, sub-regulation (1) of regulation 62F, sub-regulation (1) or (2) of regulation 62G, sub-regulation (2) or (3) of regulation 62H or sub-regulation (2) or (3) of regulation 62I,” shall be inserted;
- (e) in sub-regulation (6),
 i after the words “four times a” and before the word and symbol “year,”, the word “financial” shall be inserted;
- ii. after the words “twenty days between any two” and before the word and symbol “meeting.”, the word “consecutive” shall be inserted;
- (f) in sub-regulation (11), in clause (d), after the words “obtained every” and before the word and symbol “year,”, the word “financial” shall be inserted;
- (g) in sub-regulation (17), after the words “of directors to the shareholders” and before the words “on each”, the words “along with the rationale” shall be inserted;

- VII. in regulation 62F, in sub-regulation (2), in clause (a), after the words “four times in a” and before the word “year”, the word “financial” shall be inserted;
- VIII. in regulation 62G, in sub-regulation (6), after the words “once in a” and before the word and symbol “year.”, the word “financial” shall be inserted;
- IX. in regulation 62H, in sub-regulation (5), after the words “once in a” and before the word and symbol “year.”, the word “financial” shall be inserted;
- X. in regulation 62I, in sub-regulation (4), after the words “twice in a” and before the word “year”, the word “financial” shall be inserted;
- XI. in regulation 62K,
- (a) sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, -
- (1) HVDLE shall comply with the provisions of regulation 23 above except regulation 23(8) and regulation 23(9) in respect of related party transactions. For the purpose of this regulation word “listed entity” mentioned in regulation 23 shall be read as “HVDLE”.”;
- (b) sub-regulations (2), (3) and (4) shall be omitted;
- (c) in sub-regulation (5), after the words “voting including e-voting”, the symbol and words “, in the manner specified by the Board” shall be inserted;
- (d) in sub-regulation (7),
- i. the words, symbols and numbers “sub-regulations (3), (4) and (5)” shall be substituted with the words, symbols and number “sub-regulation (5)”;
- ii. in clause (a), after the words “into between two” and before the word “companies,”, the word “government” shall be substituted with the words “public sector”;
- ii. in clause (b), the word “and” appearing after the symbol “;” shall be omitted;
- iv. in clause (c), the symbol “.” appearing after the word “approval” shall be substituted with the symbol “;”;
- v. after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely, -
- “(d) transactions which are in the nature of payment of statutory dues, statutory fees or statutory charges entered into between an entity on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof, on the other hand; and
- (e) transactions entered into between a public sector company on the one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof, on the other hand.”
- i. the existing explanation shall be substituted with the following namely, -
- “Explanation: For the removal of doubts, it is clarified that the term ‘holding company’ used in clause (b) of this sub-regulation refers to and shall be deemed to have always referred to a listed holding company.”;
- XII. in regulation 62L,
- (a) in sub-regulation (1), in explanation,
- i. after the words and symbol “subsidiary, whose” and before the words “or net worth”, the word “income” shall be substituted with the word “turnover”;
- ii. after the words “of the consolidated” and before the words “or net worth”, the word “income” shall be substituted with the word “turnover”;
- b) after sub-regulation (6), the following clause shall be inserted, namely, -
- “Nothing contained in this sub-regulation shall be applicable if such sale, disposal or lease of assets is between two wholly-owned subsidiaries of the HVDLE.”
- XIII. in regulation 62M,
- (a) in sub-regulation (1), after the words “undertake secretarial audit”, the words and symbols “and shall annex a secretarial audit report given by a company secretary in practice, in such form as specified

- by the Board, with the annual report of the listed entity” shall be substituted with the words and number “as per regulation 24A”;
- (b) sub-regulation (2) shall be omitted;
- XIV. in regulation 62N, sub-regulation (7) shall be omitted;
- XV. in regulation 62P, after proviso to sub-regulation (2), the following sub-regulation (3) and proviso shall be inserted, namely, -
- “(3) Any vacancy in the office of Chief Executive Officer, Managing Director, Whole Time Director or Manager or Chief Financial Officer of such HVDLE in respect of which a resolution plan under section 31 of the Insolvency Code has been approved, shall be filled within a period of three months of such approval:
- Provided that, in the interim, such HVDLE shall have not less than one full-time key managerial personnel managing its day-to-day affairs.”
- XVI. in regulation 62Q,
- (a) in sub-regulation (2),
- i. clause (a) shall be substituted with the following, namely, -
- “(a) the HVDLE shall submit, to the recognized stock exchange(s), a periodic compliance report on corporate governance in the format and within the timelines, as may be specified by the Board from time to time.”;
- ii. clause (b) shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, Exe. Director

[ADVT.-III/4/Exty./626/2025-26]

FOOTNOTES:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
 - c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
 - d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
 - e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
 - f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
 - g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.

- h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
- i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
- j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
- k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
- l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.
- m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.
- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.
- u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.
- v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.
- w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.
- x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.
- z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/42.

- aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/47.
- bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/55.
- cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.
- dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/76.
- ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/79.
- ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/80.
- gg) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/88.
- hh) November 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/103.
- ii) December 05, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/109.
- jj) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117.
- kk) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- ll) June 14, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131.
- mm) July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- nn) August 23, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/149.
- oo) September 19, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/151.
- pp) October 09, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/155.
- qq) October 20, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/158.
- rr) December 21, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/161.

- ss) May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/177.
- tt) July 10, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/189.
- uu) December 12, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2024, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/218.
- vv) March 28, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/239.
- ww) May 1, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/244.
- xx) September 8, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/261.
- yy) October 27, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/270.
- zz) November 19, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/273.
- aaa) December 16, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/289.
